न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 03 /2017

श्री अमृता पिता भरत बलाई बनाम (1) कना पिता देवा बलाई बिलिया
श्री गादी पत्नी अमृता बलाई निवासी बिलिया (2) राज्य सरकार
(3) महावीर पिता देवी लाल

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0 निवासी बिलिया

– आदेश :–

दिनांक– 12/5/2017

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री अमृता बलाई, व गादी
श्री ______ ने जरिये अभिभाषक
______ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल / संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बिलिया प0ह0 रलामता तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0 1008/669
किता 1 रकबा 2 बीघा – बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन भूमि विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अत:पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराये जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत 2069/2072 अवलोकन से प्रार्थी आराजीयात का खातेदार / गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अत: प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलिया की आराजी न0 1008/669
रकबा 2 बीघा – बिस्वा – की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 100 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

Q